



E – Sakshya

Collection and Admissibility: An Overview

Prepared by –

Sourabh Shendre

Assistant Legal Aid Defense Counsel,

Legal Aid Defense Counsel System,

District Legal Services Authority,

District – Durg (C.G.)

TABLE OF CONTENTS

1. Introduction (परिचय)
2. Using of E-Sakshya app at the scene of crime
(अपराध स्थल पर ई-साक्ष्य एप का उपायोग)
3. Role of Prosecution (अभियोजन की भुमिका)
4. Relevancy and admissibility of E-sakshya in court of law
(न्यायालय में ई-साक्ष्य का सुसंगत होना एवं ग्राह्यता)
5. Related laws, provisions etc. (संबंधित विधियां, प्रावधानों आदि)
6. Case laws (निर्णय)

Introduction (परिचय)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के समस्त प्रावधान 01 जुलाई 2024 से प्रवृत्त हुये है। यह उपबंध करता है कि “साक्ष्य” के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप से दी गई कोई सूचना भी है जो इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से साक्षियों, अभियुक्तों, विशेषज्ञों और पिड़ितों की उपस्थिती को अनुज्ञात करेगा। यह किसी भी इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख की साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता का उपबंध करता है और जिसका वही विधिक प्रभाव, विधिमान्यता और प्रवर्तनीयता होगी जो किसी अन्य दस्तावेज की होती है। यह उपबंध करता है कि मूल अभिलेख का मैचिंग हैश वैल्यू देना द्वितीयक साक्ष्य के रूप में साक्ष्य के सबूत के रूप में ग्राह्य होंगे।¹

ई-साक्ष्य एप्लीकेशन को एन.आई.सी. (नैशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर²) के द्वारा निर्मित किया गया है। अन्वेषण अधिकारी के लिये यह एक महत्वपूर्ण साधन है जो अपराध स्थल/घटना स्थल (scene of crime) से साक्ष्य को एकत्र/संग्रह करने, दस्तावेजीकरण एवं साक्ष्य के प्रबंधन (management) करने में सहायक है। यह तकनीक, वर्तमान में, आपराधिक न्याय प्रणाली (criminal justice system) के आधुनिकीकरण (modernization) को प्रभावशील कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों की प्रासंगिकता एवं अनुपालन को सुनिश्चित करता है।

ई-साक्ष्य, आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली में किसी भी छेड़-छाड़ रहित एवं न्यायालय में साक्ष्य के रिकार्डिंग को ग्राह्य बनाता है। ई-साक्ष्य को प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिये व्यवहारिक प्रणाली जैसे, तैयारी, अपराध स्थल की सुरक्षा, साक्ष्य खोजना, रिकार्डिंग करना, पैकेजिंग एवं रख-रखाव सम्मिलित है।³ ई-साक्ष्य एप्लीकेशन अन्वेषण/जॉच एवं न्यायिक परिणामों (judicial outcomes) को सरल बनाता है, साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

¹ Dr. Vedprakash Rai, The Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023, Bare Act, Allahabad Law Publications, Diglot Edition, 2024, Pg. 1.

² इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) भारत सरकार का प्रौद्योगिकी भागीदार है। NIC की स्थापना वर्ष 1976 में केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। एनआईसी का शासनादेश है:- सरकार का प्रौद्योगिकी भागीदार बनना, सरकार के लिए आईटी सिस्टम डिजाइन और विकसित करना, सरकार को आईसीटी अवसंरचना प्रदान करना एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर शोध और परामर्श देना।

³ Guidelines for Investigating Officers on using the E-Sakshya App at the Scene of Crime, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India, Pg. 03, 2025, <https://bprd.nic.in/uploads/pdf/BROUCHER%20-%20New-1%20for%20Approval.pdf> [acc. on 29.01.2026 at 08:00 pm]

2023 के संबंधित प्रावधानों अनुसार प्रक्रियाओं में पारदर्शिता एवं वैज्ञानिक दृढ़ता (scientific rigour) के अधिदेश (mandate) की पूर्ति करता है।

Using of E-Sakshya app at the scene of crime (अपराध स्थल पर ई-साक्ष्य एप का उपायोग)

अन्वेषण अधिकारी के लिये ई-साक्ष्य एप्लीकेशन के समुचित उपयोग हेतु भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा एक विवरणिका⁴ (brochure) एवं एक मानक संचालन प्रक्रिया⁵ (standard operating procedure) निर्मित किया गया है, जो विस्तारपूर्वक ई-साक्ष्य एप के माध्यम से साक्ष्य को एकत्रित किये जाने, उनके संधारण, उनके दस्तावेजीकरण, न्यायालय में ग्राह्यता, न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे मोबाईल/ईलेक्ट्रनिक डिवाइस जिसके माध्यम से ई-साक्ष्य का उपयोग किया जाना है, उसकी कैमरा गुणवत्ता, न्यूनतम बैटरी प्रतिशत का रहना, जीयो-टैगिंग (geo-tagging⁶) आदि विषयों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है। जिसके कतिपय मुख्य बिंदु निम्नानुसार है—

अ. घटना/अपराध स्थल (scene of crime) में जाने के पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें:

- गुगल प्ले के माध्यम से ई-साक्ष्य एप्लीकेशन को स्मार्ट मोबाईलफोन में डाउनलोड करना व ऐसे फोन के पिछले भाग का कैमरा (rear camera) न्यूनतम 12 एम.पी. (mega pixel) का होना चाहिये, मोबाईलफोन में 20% से अधिक बैटरी चार्ज होना चाहिये, कम से कम 5 जी.बी. (gigabit) का फ्री स्पेस होना चाहिये, मजबूत पासवर्ड होना चाहिये और उक्त मोबाईल फोन किसी भी तरह से सुदूर अभिगम/दूर से पहुंच योग्य (remotely accessible) की सुविधा वाला या संयोजित (connected) नहीं होना चाहिये।

⁴ Guidelines for Investigating Officers on using the E-Sakshya App at the Scene of Crime, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India, Pg. 03, 2025, <https://bprd.nic.in/uploads/pdf/BROUCHER%20-%20New-1%20for%20Approval.pdf> [acc. on 29.01.2026 at 08:00 pm]

⁵ SOP for Audio-Video Recording under Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), Ministry of Home Affairs, Government of India, 2024, https://bprd.nic.in/uploads/pdf/1723616060_2a3a0a30527ffc634.pdf [acc. on 29.01.2026 at 08:05 pm]

⁶ जियोटैगिंग (Geotagging) का मतलब है किसी मीडिया (जैसे फोटो, वीडियो, टेक्स्ट) में भौगोलिक जानकारी (जैसे अक्षांश और देशांतर निर्देशांक, ऊंचाई, दिशा) जोड़ना, ताकि उस सामग्री के बनने या पोस्ट होने के सटीक स्थान का पता लगाया जा सके; यह प्रक्रिया अक्सर GPS और मोबाइल डिवाइस की लोकेशन सेवाओं का उपयोग करके की जाती है।

- मोबाईल फोन का कैमरा, उसका माईक्रोफोन एवं जीयो-टैगिंग व लोकेशन के सुविधा को भी चालू रखना होता है। उसमें टाईमजोन की सेटिंग को भी ईंडियन स्टैंडर्ड टाईम के अनुसार ही रखना होगा।

ब. अपराध स्थल की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, की धारा 105 में यह उल्लेखित है कि पुलिस अधिकारी/अन्वेषण अधिकारी साक्ष्य एकत्र करने और इलेक्ट्रॉनिक साधनों, जिसमें मोबाईल फोन को वरीयता देते हुए, अपराध स्थल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी/तालाशी/गवाह के बयान दर्ज करने के लिए अपराध स्थल का दौरा करेंगे। इसी प्रकार धारा 176 की उपधारा 03 में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे अपराध जो 07 वर्ष या अधिक के लिए दण्डनीय बनाया गया है के अन्वेषण में फॉरेन्सिक अन्वेषण अनिवार्य होगा। ऐसे मामलों में, फॉरेन्सिक विशेषज्ञ, फॉरेन्सिक साक्ष्य एकत्र करने और मोबाईल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी बनाई जाएगी।

बीएनएसएस के अतिरिक्त “छत्तीसगढ़ ई-साक्ष्य प्रबंधन नियम, 2025” का नियम 03 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक जांच अधिकारी ई-साक्ष्य मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 105, 173 (संज्ञेय मामलों में सूचना), 176 (अन्वेषण के लिए प्रक्रिया), 180 (पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा), 185(पुलिस अधिकारी द्वारा तालाशी) एवं 497 (कतिपय मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार सभी वीडियो और फोटो साक्ष्य रिकार्ड करेगा। इसी प्रकार नियम 04 में यह प्रावधान किया गया है कि जांच अधिकारी ई-साक्ष्य मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, की अनुसूची भाग क का प्रमाण पत्र धारा 63(4)(ग) के अंतर्गत तैयार करेगा। सभी प्रमाण पत्रों पर जांच अधिकारी द्वारा ई-हस्ताक्षर किए जाएंगे।

स. फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी किये जाने के संबंध में आवश्यक बिंदु⁷ :

अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण में सुनिश्चित किए जाने वाले आवश्यक कार्य –

⁷ मानक संचालन प्रक्रिया, अपराध स्थल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़, परिपत्र क्रमांक 19/2024, दिनांक 26.06.2024।

- मोबाईल साइलेंट मोड में होना चाहिए। वाईब्रेट/अलार्म/मैसेजिंग/नोटिफिकेशन या स्क्रीन रोटेट मोट बंद होना चाहिए।
- अपराध स्थल पर पहुंचने के बाद ही ई-साक्ष्य एप्लीकेशन में लॉग इन करें जिसमें जीपीएस निर्देशांक समय के साथ ठीक से प्रदर्शित होना चाहिए।
- आवश्यक फोटोग्राफ/वीडियो फुटेज रिकार्ड करें। संतुष्ट होने पर उसे सेव करें। सेव करने के तुरंत बाद, फोटो/वीडियो फुटेज के हैश वैल्यू की गणना की जा सकती है और मूल तस्वीर/फुटेज में प्रदर्शित किया जा सकता है।
- घटना स्थल, स्पॉल प्रदर्शनों को ससंबंधित करने के लिए समग्र, मध्य सीमा, क्लोजअप और प्वाइंट टू प्वाइंट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी लें। फोटोग्राफिक महत्वपूर्ण साक्ष्य, गवाह और अन्वेषणकर्ता, फॉरेन्सिक विशेषज्ञ की स्मृति को ताजा करता है।
- डिजीटल मीडिया की सुरक्षा सुनिश्चित करें (उचित पैकिंग/सीलिंग) ताकि इसे छेड़छाड़/टेम्परिंग/आर्द्रता/अत्यधिक तापमान और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से बचाया जा सके।

द. ई-साक्ष्य में क्या रिकार्ड करना चाहिए :

सर्वप्रथम प्रारंभिक रूप से घटना स्थल का विहंगावलोकन (Overview) जिसमें सड़क में लगे हुए चिन्ह/मार्गदर्शिका, नाम और पता के प्लेट, आगमन बहिर्गमन के रास्ते (बहुमंजिला इमारतों में रूम नंबर सहित) को रिकार्ड किया जाना चाहिए ताकि घटनास्थल की स्थानीय अस्पष्टता (Local Ambiguity) को दूर किया जा सके। घटनास्थल का 360 डिग्री दृश्य भी रिकार्ड किया जाना है। ऐसे दस्तावेज जो भौतिक साक्ष्य (Physical Evidence) है, जो घटनास्थल में या उसके समीप मौजूद है। उन दस्तावेजों को क्लियर फोकस के साथ रिकार्ड किया जाना चाहिए। घटना से संबंधित घटनास्थल में कोई भी साक्ष्य को हटाये जाने के पूर्व ही उसकी रिकार्डिंग की जानी चाहिए।

सड़क दुर्घटना होने पर सड़क की समग्र तस्वीरें लें। यदि दुर्घटना, यातायात दुर्घटना हो और मृतक घटनास्थल पर हो उस स्थिति में मृतक के शरीर और उसके चेहरे की पूरी तस्वीरें लें।

वीडियोग्राफर/फोटोग्राफर अपराध स्थल को कवर (Cover)करेगा, जिसमें हत्या के मामले में जहां शव पड़ा हो सभी कोणों से फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी की जायेगी जिससे मृतक का चेहरा, सभी चोट और अन्य साक्ष्य जैसे हमला, बलात्कार, हथियारों की मौजूदगी कपड़ों की स्थिति का संकेत स्पष्ट दिखाई दे।

खून के धब्बे, घटना में उपयोग किए गए हथियार, उन हथियारों में खून के धब्बे या अन्य दाग, यथासंभव विभिन्न कोणों (Multiple Angles) से रिकार्ड किया जाना चाहिए। विवरणों की सूक्ष्मता को ध्यान में रखते हुए ऑप्टिकल सतह (ग्लास में हाथ या होठ के निशान, चांस प्रिंट इत्यादि) के साक्ष्य को रिकार्ड करना चाहिए। क्लोजअप फोकस के साथ साक्ष्य जैसे बाल, पेंट, ग्लास, फाईबर इत्यादि को रिकार्ड करना चाहिए। फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए जो साक्ष्य को सील बंद करके पैक किया जाता है उसके वीडियोग्राफी को भी रिकार्ड किया जाना चाहिए।

ई-साक्ष्य एप्लीकेशन में रिकार्डिंग उपरांत समस्त फाईलों को उसमें दिए गए ऑप्शन अनुरूप अपलोड किया जाना चाहिए। निरंतर रूप से अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के समाकलन (Integration) करते रहना चाहिए। ई-साक्ष्य एप्लीकेशन में दर्ज रिकार्डिंग का प्रभाव भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, के प्रावधानों अनुसार एक दस्तावेज के रूप में माना गया है।

Benefits of E-Shaksh in Prosecution (अभियोजन में ई-साक्ष्य के लाभ)

ई-साक्ष्य के द्वारा दर्ज रिकार्डिंग अभियोजन पक्ष के लिये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ई-साक्ष्य के माध्यम से विडियो, ऑडियो, क्राईमसीन रिकॉर्डिक और फॉरेंसिक डेटा का टैम्पर-प्रूफ (छेड़छाड़ –रोधक) तरीके से रिकॉर्ड और क्लाउड पर स्टोर किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को न्यायालय अनुरूप, सुरक्षित और विश्वसनिय रूप प्रदान करना है।

अ. साक्ष्य की प्रमाणिकता और छेड़छाड़ रोधी संरक्षण :

साक्ष्य को हैश वैल्यू सहित स्टोर किया जाता है, जिससे यह साबित होता है कि साक्ष्य में कोई बदलाव/छेड़छाड़ नहीं हुई है। ऐसे साक्ष्य न्यायालय में अधिक स्वीकार्य और तर्कसंगत

माने जाते हैं। इससे अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य की गुणवत्ता/प्रमाणिकता (Genuinity) और अखण्डता (Integrity) को चुनौती देना कठिन हो जाता है।

ब. गति और प्रक्रिया का समन्वय :

घटना स्थल पर ही साक्ष्य अपलोड होने से जांच और आरोप पत्र की तैयारी तेज होती है। पारंपरिक मैन्युअल दस्तावेज एवं भौतिक प्लापी/पेन ड्राई/सी.डी. पर विश्वास कम रहता है। अभियोजन पक्ष को बेहतर तैयारी और समयबद्ध प्रक्रम मिलता है।

स. संभावित विवादों में कमी :

पारंपरिक फोटोग्राफ या विडियो के विपरीत, ई-साक्ष्य में जी.पी.एस., टाइम स्टैम्प, केस लिंकिंग, प्रमाण पत्र इत्यादी ऑटोमेटिक रूप से जुड़ जाते हैं। इससे चेन ऑफ कस्टडी पर होने वाले विवाद कम होते हैं। पुलिस द्वारा ई-साक्ष्य का उपयोग अधिकारिक तौर पर निरीक्षण/प्रस्तुतीकरण/अन्वेषण कि लिए होना न्यायालय में प्राथमिक साक्ष्य की तरह माना जाता है।

छत्तीगढ़ ई-साक्ष्य प्रबंधन नियम, 2025, के नियम 08 यह प्रावधान करता है कि न्यायालय बी.एन.एस. की धारा 203 के अधीन प्रावधानों के अनुसार पीड़ित के साथ साक्ष्य साझा करने की अनुमति दे सकता है।

ई-साक्ष्य अभियोजन पक्ष को निम्न प्रमुख लाभ प्रदान करता है:

- विश्वासनीय, छेड़छाड़ रहित साक्ष्य,
- तेज और पारदर्शी जांच
- आधुनिक कानूनी मान्यता
- न्यायालय में मजबूत प्रस्तुति

ये सब मिलकर मुकदमों को जीतने की संभावना बनाते हैं और अभियोजन को साक्ष्य आधारित मजबूती प्रदान करते हैं।

Relevancy and admissibility of E-sakshya in court of law (न्यायालय में ई-साक्ष्य का सुसंगत होना एवं ग्राह्यता)

ई-साक्ष्य को भारत साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक और स्वीकार्य माना जाता है, बशर्ते यह धारा 61 और धारा 63 की शर्तें पूरी करें।

प्रासंगिकता (Relevancy)

ई-साक्ष्य साक्ष्य तब प्रासंगिक होता है जब यह मामलों के तथ्यों से सीधा जुड़ा हो और साबित करने में सहायक हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 03 के तहत प्रासंगिक साक्ष्य ही स्वीकार्य होता है, और ई-साक्ष्य डिजिटल रिकार्ड होने से प्रासंगिकता से वांचित नहीं किया जा सकता। यह अपराध स्थल के विडियो फोटो या स्टेटमेंट्स जैसे डिजिटल प्रमाणों के माध्यम से तथ्यों को स्थापित करता है।

स्वीकार्यता (Admissibility)

धारा 61 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड केवल डिजिटल होने से अस्वीकार नहीं; धारा 63 की शर्तें पूरी करने पर यह वैध होता है। इनमें प्रमाण पत्र अनिवार्य है जो रिकार्ड की अखंडता, उत्पत्ति, डिवाइस विवरण और हैश वैल्यू प्रमाणित करे, जो विषेज्ञय या जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षित हो। ई-साक्ष्य ऐप्प द्वारा एकत्रित साक्ष्य टेम्पर प्रुफ होता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुरूप अदालतों में स्वीकार्य बनाता है।

अपरिवर्तनीय भांडारण में अपलोड की गई साक्ष्य को संहिता की धारा 105 और 185 के अधीन मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया जाना माना जाएगा। ई-साक्ष्य पैकेट को ट्रायल पूरा होने के पश्चात् संग्रहित किया जाएगा और उसके अभिलेखीय मोड में ले जाया जाएगा।

Related laws, provisions etc. (संबंधित विधियां, प्रावधानों आदि)

A. Statues, Rules etc.:

- Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
- Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
- Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
- Information Technology Act, 2000 (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000)
- Chhattisgarh E-Sakshya Management Rules, 2025 (ई-साक्ष्य प्रबंधन अधिनियम, 2025)
- Chhattisgarh Electronic Processes (Issuance, Service and Execution) Rules, 2025 (छत्तीसगढ़ ईलेक्ट्रानिक आदेशिका (जारी किया जाना, तामीली तथा निष्पादन) नियम, 2025)
- The High Court and District Judiciary of the State of Chhattisgarh for the use of Electronic Communication and Audio-Video Electronic Means Rules (Nyaya Shruti), 2025

B. SOPs, Guidelines etc.:

- Guidelines for Investigating Officers on using the E-Sakshya App at the Scene of Crime, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India, 2025.
- SOP for Audio-Video Recording under Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), Ministry of Home Affairs, Government of India, 2024.
- मानक संचालन प्रक्रिया, नवीन कानूनो के क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़, परिपत्र क्रमांक 06/2024, दिनांक 26.06.2024। (<https://cgpolice.gov.in/sop>)
- मानक संचालन प्रक्रिया, नए अधिनियमों के तहत अन्वेषण के स्थायी संचालन प्रक्रिया, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़, परिपत्र क्रमांक 18/2024, दिनांक 26.06.2024।
- मानक संचालन प्रक्रिया, अपराध स्थल की फोटोग्राफी और विडियोग्राफी, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़, परिपत्र क्रमांक 19/2024, दिनांक 26.06.2024।

Case laws (निर्णय)

- Tukaram S. Dighole vs. Manikrao Shivaji Kokate, (2010) 4 SCC 329
- Sonu @ Amar vs. State of Haryana, (2017) 8 SCC 570
- State (NCT of Delhi) vs. Navjot Sandhu @ Afsan Guru, AIR 2005 SC 3820
- Anvar P. V. vs. P. K. Basheer and Others, (2014) 10 SCC 473
- Shafhi Mohamamd vs. State of H.P., (2018) 2 SCC 801
- Arjun Panditrao Khotkar vs. Kailash Kushanrao Gorantyal, AIR 2020 SC 4908
- State by Karnataka Lokayukta, Police Station, Bengaluru vs. M. R. Hiremath, (2019) 7 SCC 515
- Tomaso Bruno and Anr. vs State of Uttar Pradesh, (2015) 7 SCC 178
- Harpal Singh vs. State of Punjab, (2017) 1 SCC 734
- Union of India vs. Ravindra V. Desai, 2018 SCC OnLine SC 399
- Rajender vs State(NCT of Delhi), (2019) 10 SCC 623
- State of Karnataka vs. T. Naseer , 2023 SCC OnLine SC 1447
- Suresh vs. State of Kerala, 2025:KER:65205
- P. Gopalkrishnan vs. State of Kerala, AIR 2020 SC 1
- Vinit Kumar vs Central Bureau of Investigation, 2019 SCC OnLine Bom 3152
- Thana Singh vs. Central Bureau of Narcotics, 2013 (2) SCC 590
- Shadab vs. State of U.P., 2026 SCC OnLine ALL 5
- Kailas S/o Bajirao Pawar vs. The State of Maharashtra, 2025 INSC 1117
- Sanjaysinh Ramrao Chavan vs. Dattatray Gulabrao Phalke, (2015) 3 SCC 123
- Deepti Kapur vs. Kunal Julka, (2020) SCC OnLine Deel 672

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण):

यह रिसर्च पेपर लेखक के व्यक्तिगत अध्ययन एवं विश्लेषण पर आधारित है तथा इसमें व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं। यद्यपि इसे सटीक एवं अद्यतन रखने का प्रयास किया गया है, तथापि इसमें त्रुटि या सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसे पूर्णतः प्रामाणिक अथवा विधिक सलाह के रूप में न माना जाए। किसी भी विधिक निर्णय से पूर्व संबंधित कानूनों एवं विशेषज्ञ परामर्श का संदर्भ लिया जाना अपेक्षित है।